(15)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या --36/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. रामा पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम बाबाजी निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास।– मृतक
   - 1/1. कस्तूरी पत्नी रामा– मृतक
   - 1/2. निरोती पुत्र रामा कौम बाबाजी सा0देह खातेदार
   - 1/3. मुन्नी पुत्री रामा पत्नी मोतीचन्द पैगोर –मृतक
   - 1/4. वीरो पुत्री रामा पत्नि मोहन मोती का नगला कुम्हेर भरतपुर।
2. बादाम–मृतक
   - 2/1. भगवती पत्नी बादाम– मृतक
   - 2/2. नादान पुत्र बादाम कौम कुशवाह सा0देह
   - 2/3. मुल्कराज पुत्र बादाम
   - 2/4. रम्पी पुत्री बादाम पत्नि खेमसिंह घाटा तहसील रूपवास
   - 2/5. रोहतान सिंह पुत्र बादाम–मृतक
3. गोरेलाल– मृतक
   - 3/1. किस्तूरी पत्नी गोरेलाल– मृतक
   - 3/2. जवाहरसिंह पुत्र गोरेलाल–मृतक
   - 3/3. ध्रुवसिंह पुत्र गोरेलाल
   - 3/4. कमला पुत्री गोरेलाल पत्नि हरीचरण निवासी लवकुश कांलोनी बयाना
   - 3/5. श्रीमती पुत्री गोरेलाल पत्नि दरबसिंह निवासी घाटा रूपवास
   - 3/6. श्यामवती पुत्री गोरेलाल पत्नि चेतराम निवासी लवकुश कांलोनी बयाना
   - 3/7. चन्द्रवती पुत्री गोरेलाल पत्नि शेरसिंह निवासी अजीतनगर भैसा उच्चैन
   - 3/8. रामरती पुत्री गोरेलाल पत्नि राधेश्याम निवासी अजीतपुर भैसा उच्चैन
   - 3/9. वीरो पुत्री गोरेलाल पत्नि सीताराम निवासी लवकुश कांलोनी बयाना
   - 3/10. सोनो पुत्री गोरेलाल पत्नि धर्मसिंह निवासी अजीतनगर भैसा उच्चैन।
4. चन्द्रभान
   - 5/1. पूरनदेई पत्नी चन्द्रभान –मृतक
   - 5/2. धर्मेन्द्रसिह पुत्र चन्द्रभान कौम कुशवाह सा0देह खातेदार
   - 5/3. रीना पुत्री चन्द्रभान पत्नी विजयपाल झील का पुरा खेरां

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(16)

5. दिनेशचन्द
6. राजेन्द्र
7. जीवनसिंह
8. जीतेन्द्र
9. योगेन्द्र
10. नत्थोसिंह पुत्र धुन्धीराम कौम काछी निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास।– मृतक
11. छीतरिया पुत्र धनीराम कौम काछी निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास।
12. यादराम पुत्र भूरीलाल कौम काछी निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास–मृतक
   13/1. राजो पत्नी यादराम –मृतक
   13/2. बहादुर पुत्र यादराम कौम कुशवाह सा0देह खातेदार
   13/3. सन्तो पुत्री यादराम पत्नी सोबरन सिंह दोरदा तहसील व जिला आगरा।
   13/4. शकरिया पुत्री यादराम पत्नी इन्दर नि0 समराया तहसील वैर
   13/5. रामस्वरूप पुत्र यादराम– मृतक
   13/5/1. बिस्सो पत्नी रामस्वरूप– मृतक
   13/5/2. लख्मी पुत्र रामस्वरूप
   13/5/3. रामवीर पुत्र रामस्वरूप
   13/5/4. लक्खो पुत्र रामस्वरूप
   13/5/5. रामवीर पुत्र रामस्वरूप
   13/5/6. वीरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
   (13/5/2 से 13/5/6) कौम कुशवाह सा0देह खातेदार
   13/5/7. प्रयाग पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामफूल नि0 फतेहपुर सीकरी आगरा
   13/5/8. रूपनदेई पुत्री रामस्वरूप पत्नी पदमकिशोर नि0 फतेहपुर सीकरी।
13. सरदार पुत्र चंदन कौम काछी निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास–मृतक
   14/1. किशनप्यारी पत्नी सरदार
   14/2. रामप्रसाद पुत्र सरदार
   14/3. रामकिशन पुत्र सरदार
   14/4. गैआ पुत्री सरदार
   14/5. गंगा पुत्री सरदार
   14/6. जमुना पुत्री सरदार
   14/7. रामप्रकाश पुत्र सरदार–मृतक
   14/7/1. रामवती पत्नी रामप्रकाश
   14/7/2. मछला पुत्री रामप्रकाश
   14/7/3. गुड्डी पुत्री रामप्रकाश
   14/7/4. नहनी पुत्री रामप्रकाश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

14/7/5. सूखी पुत्री रामप्रकाश
14/7/6. शशि पुत्री रामप्रकाश

14. सुनीता पत्नी विजेन्द्र सिंह कौम ब्राह्मण निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास ।
15. मायादेवी पत्नी महेन्द्र सिंह कौम ब्राह्मण निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास ।
16. शीला पत्नी मानसिंह कौम ठाकुर निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास–मृतक

17/1. धर्मवीर पुत्र मानसिंह
17/2. नरिया पुत्र मानसिंह
17/3. लौहरे पुत्र मानसिंह
17/4. शैलेन्द्र पुत्र मानसिंह
जाति कुशवाह नि0 सिरसौदा मजरा रूपवास।

17. विक्रमसिंह तोमर पुत्र चरनसिंह कौम जाट निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास ।
18. जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह काछी ब्राह्मण निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास ।

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1904/1005 रकवा 6.00 बीघा के विरुद्ध खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–
1–पैरोकार सरकार,
2–श्री नरेन्द्रप्रसाद अभिभाषक अप्रार्थी0
3– श्री उदयवीर सिंह कसाना अभि0 अप्रार्थी0
4–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभि0 अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 06.02.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1904/1005 रकवा 6.00 बीघा किस्म कदीम वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमांबदी सम्वत् 2069–72 में अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में कदीम (मकबूजा चारागाह) के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत् 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 1005/16.16 के रूप में रहा है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जमाबंदी संवत् 2016–2019 के खाता संख्या 87 में बिना किसी नामान्तकरण के रामी पुत्र लक्ष्मीनारायण, नकटा पुत्र परसादी, कलुआ, धनीराम पि0 रामहेत, यादराम पुत्र भूरीसिंह, सरदान पुत्र चंदन के नाम खुदकाश्त गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर जमाबंदी संवत् 2020 के खाता संख्या 268 में खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है जो जरिये विरासत, हकत्याग व विक्रय से नामान्तकरण संख्या 2931,3156,3349 से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त भूमि अजाव ताल के निकट है और इसके सहारे अजाब ताल की भूमि में वर्षाऋतु में कई राजस्व ग्रामों के बंधो का पानी काफी समय तक ठहरकर रूपवास के बंध में इक्टठा रहता है। इस भूमि पर वर्तमान में खसरा न0 1005 में मौके पर मौजूद शेष अनुपयोगी भूमि को अव्यवस्थित रूप से राजकीय भूमि के रूप में छोडते हुये बिना तरमीम किये अनियमित रूप से अप्रार्थीगण की काबिज काश्त है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णिम भूमियों में से है, जिसका नियमन नही किया जा सकता है और उस खातेदारी अधिकार देना विधिविरूद्व है। उक्त भूमि पर खातेदारी प्रभाव शून्य है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पीटिशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि पर दर्ज खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तकरण संख्या 2931,3156,3349 आदि को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1904/1005 रकवा 6.00 बीघा किस्म कदीम (मकबूजा चारागाह) पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 2931,3156,3349 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये व प्रार्थी तहसीलदार रूपवास से मौका रिपोर्ट तलब की गई संलग्न पत्रावली है।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पैरोकार की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी कदीम (मकबूजा मालकान) दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी.सिविल रिट पीटिशन न0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

19

1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया गया है। उक्त निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 2931,3156,3349 आदि को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार सरकार द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1904/1005 रकबा 6.00 बीघा किस्म कदीम (मकबूजा चारागाह) कभी भी न तो चारागाह भूमि रही है और न ही सरकार में निहित थी। उक्त आराजी आरम्भ से ही खातेदारी की रही है जिस पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामा पुत्र लक्ष्मीनारायण, नकटा पुत्र परसादी, कलुआ, धनीराम पि0 रामहेत, यादराम पुत्र भूरीसिंह, सरदान पुत्र चंदन के नाम खुदकाश्त गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर जमाबंदी संवत् 2020 के खाता संख्या 268 में खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है जो जरिये विरासत, हकत्याग व विकय से नामान्तकरण संख्या 2931,3156,3349 से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हुये। तभी से उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। खातेदारी अधिकार को विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार को रैफरेन्स के माध्यम से निरस्त नही किया जा सकता है साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रकरण काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो म्याद अधिनियम की पालना के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1904/1005 रकबा 6.00 बीघा किस्म कदीम (मकबूजा चारागाह) वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास पर दर्ज खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये नामान्तकरण संख्या 2931,3156,3349 को निरस्त करने तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पीटिशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 1904/1005 रकबा 6.00 बीघा किस्म कदीम वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है व उक्त रकबा पर में मौके पर आबादी बसी हुई है तथा खातेदारान द्वारा पूर्व में ही प्लाटिंग की जा चुकी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

90

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1005 रकबा 16.16 बीघा राजकीय खाते में मकबूजा मजबूर किस्म कदीम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2016–2019 में खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर 1005 रकबा 6.00 बीघा पर रामा पुत्र लक्ष्मीनारायण, नकटा पुत्र परसादी, कलुआ, धनीराम पि0 रामहेत, यादराम पुत्र भूरीसिंह, सरदान पुत्र चंदन के नाम खुदकाश्त गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर जमाबंदी संवत् 2020 में खाता संख्या 268 के खसरा नम्बर 1005/6.00 बीघा पर अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया है तथा भूमि की किस्म कदीम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नामा0स0 2931 में खसरा नम्बर 1005 मिन 1 रकबा 6.00 बीघा कदीम पर कलुआ पुत्र रामहेत कौम काछी सा0 सिरसौदा मजरा देह खातेदार हि0 1/8 बाकी हिस्सा 7/8 जमाबंदी बदस्तूर के स्थान पर जरिये विरासत व रिलीजडीड से बुद्दीराम,रामफल पिसरान कलुआ वहि0बराबर 1/2, नत्थोसिंह पुत्र धुन्धीराम हि01/4,इन्द्रवती,सरोज पुत्रीयान धुन्धीराम वहि0बराबर 1/60 कौम काछी सा0देह खातेदार बाकि हिस्सा 7/8 बदस्तूर दर्ज रिकार्ड हुआ है। नामा0स0 3156 से इन्द्रवती,सरोज पुत्रीयान धुन्धीराम मजरा देह खातेदार वहि0बराबर 1/60 बाकि हिस्सा जमाबंदी बदस्तूर के स्थान पर जरिये रिलीजडीड दिनांक 30.1.2012 से नत्थोसिंह पुत्र धुन्धीराम कौम काछी सा0 सिरसौदा मजरा देह खातेदार हि01/60 बाकी हिस्सा जमाबंदी बदस्तूर दर्ज हुआ है तथा नामा0स0 3349 से ख0न01904/1005 से बद्री पुत्र कलुआ हिस्सा 1/8 कौम काछी सा0देह खातेदार के स्थान पर जरिये विरासत अपठित मिटठन, चन्द्रभान,राजेश,जीवनसिंह जीतेन्द्र,को जरिये विरासत का इन्द्राज किया गया है।

प्रकार उक्त भूमि सम्वत् 2012 में आराजी राजकीय खाते में कदीम दर्ज रिकार्ड रही है तथा जमाबंदी संवत् 2016–2019 में खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर 1005 रकबा 6.00 बीघा पर रामा पुत्र लक्ष्मीनारायण, नकटा पुत्र परसादी, कलुआ, धनीराम पि0 रामहेत, यादराम पुत्र भूरीसिंह, सरदान पुत्र चंदन के नाम खुदकाश्त गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर जमाबंदी संवत् 2020 में खाता संख्या 268 के खसरा नम्बर 1005/6.00 बीघा पर अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर खातेदार अधिकार प्राप्त किये गये है। अतः तहसीलदार (भूमिधारी) का यह कहना गलत है कि विवादित आराजी सवंत् 2012 में कदीम (मकबूजा मालकान) दर्ज रही है, वास्तविक रूप से दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार आराजी की किस्म कदीम रही है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी में नही आती है।

जमाबंदी सम्वत् 2012 में मकबूजा सरकार के खाते में किस्म कदीम दर्ज है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0 दिनांक 20.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"। प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। प्रार्थी तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो साथ ही अप्रार्थीगण के बिना नामान्तकरण के गैर खातेदार दर्ज होने के सबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रार्थी (तहसीलदार रूपवास) द्वारा रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया है जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:–

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 1904/1005 रकबा 6.00 बीघा के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साविक खसरा नम्बर 1005 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।
3. प्रकरण में उल्लेखित आराजी सवंत् 2016–19 में अप्रार्थीगण के पक्ष में गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है, के सबंध जमाबंदी में अमल करने के सबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के कम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)